उत्तर प्रदेश सरकार
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2

संख्या–क0नि0–2–879/ग्यारह–9(1)/08–उ0प्र0अधि0–5–2008–आदेश–(14)–2008
दिनांक:: 26 मार्च, 2008

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2008) की धारा 74 के साथ पठित धारा 7 के खण्ड (ग) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल दिनांक 01 जनवरी, 2008 से सरकारी अधिसूचना संख्या–क0नि0–2–14/ग्यारह–9(1)/08–उ0प्र0अध्या0–37–2008–आदेश–(03)–2008 दिनांक 10 जनवरी, 2008 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:–

संशोधन

उपर्युक्त विज्ञप्ति में,–

(क) शब्द ''जिसमें मिथाइल अल्कोहल भी सम्मिलित है'' के स्थान पर शब्द ''जिसमें मिथाइल अल्कोहल सम्मिलित नहीं है'' रख दिये जाएंगे;

(ख) शब्द ''निर्माता या आयातकर्ता व्यवहारी'' के स्थान पर शब्द ''व्यवहारी'' रख दिया जायेगा;

(ग) शब्द ''प्रतिफल शुल्क अथवा आबकारी ड्यूटी'' के स्थान पर शब्द '' प्रतिफल शुल्क, आबकारी ड्यूटी, फीस अथवा कयकर '' रख दिये जाएंगे।

आज्ञा से,

(गोविन्दन नायर)
प्रमुख सचिव।